

वर्ष 2018 :

खण्ड -XIII

राज्य सूचना आयोग द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियों

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) (xiii) के अंतर्गत)

राज्य सूचना आयोग से असंबंधित है।

Section 4(1)(b) :- I II III IV V VI VII VIII IX

X XI XII XIII XIV XV XVI XVII